न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थनापत्र स0 100/17

लखमी आयु 60साल पुत्र रूपसिह जाति काछी निवासी तुर्कपुरा तहसील खेरागढ जिला आगरा
प्रार्थी

बनाम

रामखिलाड़ी पुत्र केलीराम जाति काछी निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर
अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी :–श्री पी.आर.मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

निर्णय दिनांक 15.05.2018

सक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया है विवादित आराजी खसरा न0566 रकवा 4–18 बीघा बाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रार्थी ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड वयनामा जगपालसिह पुत्र साहबसिह जाति ठाकुर निवासी रूदावल से खरीद किया और खरीद करने की दिनांक से ही प्रार्थी का उक्त आराजी के 1/2 भाग पर कब्जा व काश्त है । जबकि वादी के हिस्से की आराजी का अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। वादी व प्रतिवादी आपस में जीजा साले लगते है अप्रार्थी एक चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिसने वादी के उक्त हिस्से को हड़पने की गरज से वादी के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रूपवास के समक्ष एक झूठा वादपत्र तैयार कर बगैर वादी की तामील कराये वादी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करवाकर दावा अपने हक में डिक्री करवालिया और उसके आधार पर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा लिया जिसकी जानकारी होने पर प्राथ्री द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रूपवास के समक्ष एक्स पार्टी डिक्री निरस्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया हैं जो अभी विचाराधीन हैं दिनांक 26.6.17 को अप्रार्थी विवादित आराजी पर आया और ऐलानियॉ धमकी दी कि उक्त विवादित आराजी में तेरा कहीं भी राजस्व रिकार्ड में अकंन नहीं है। तुझे अब काश्त नहीं करने दूगा किसी अन्य व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करूगा अप्रार्थी द्वारा दीगई दिनांक 26.6.17 को धमकी से प्रार्थी भयभीत हो गया । यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नेही की जा सकती है इसलिये अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्राईमाफेसी केस सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाइ निषेधाज्ञा सक पावन्द्र फरमाया जावे कि प्रार्थनापत्र की खण्ड स0 2 में वर्णित आराजी ख सरा न0 566 रकवा 4–18 बीघा बाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में प्रार्थी के 1/2 हिस्से में प्रार्थी के उपयोग उपभोग मदाखलत मजाहमत बेंजा नकरें ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की मद स0 1,2,3,4,5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र पेरशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे ।

आज पत्रावली राजस्व अभियान 2018 कोर्ट कैम्प रूदावल में प्रस्तुत हुई । पक्षकारो को विधिवत नोटिस जारी किये गये । बाबजूद सूचना के प्रार्थी उपस्थित नहीं आया अप्रार्थी उपस्थित आया प्रार्थी के एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्राईमाफैसी केस , सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हे कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय कोर्ट कैम्प औडेल गददी में सुनाया गया ।

15/5/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)